भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1087

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2016/9 वैशाख 1938 (शक) को दिया जाना है)

आभूषण संबंधी संव्यवहार को पैन से जोड़ना

1087. श्री गजेन्द्र सिंह शेखाबत:

श्री पी.पी. चौधरी:

श्री वी. एलुमलाई:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उपभोक्ताओं के लिए कतिपय मूल्य सीमा से ऊपर के आभूषण खरीदने पर पैन कार्ड दिखाना तथा उसका रिकॉर्ड देने को अनिवार्य किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान आभूषणों की खुदरा बिक्री में राज्य-वार कितनी वृद्धि या कमी हुई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आभूषणों की खुदरा बिक्री में जितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी आई है उसके क्या-क्या कारण हैं या पैन कार्ड नियम का सोने की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या स्वर्ण के लिए पैन कार्ड के नियम के अधिरोपण से कर अपवंचकों का पता लगाना और उन्हें दायरे के अंतर्गत लाना है; और

(घ) क्या सरकार की कतिपय खरीद स्तर से अधिक सोना खरीदने पर पैन कार्ड नियम को समाप्त करने की योजना है?

<u>उत्तर</u>

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जयंत सिन्हा)

(क) दिनांक 01/07/2011 से आयकर (पांचवां संशोधन) नियमावली 2011 के अंतर्गत 5 लाख रुपये या इससे अधिक राशि के सोने, चांदी या आभूषणों की खरीद में पैन कार्ड का उल्लेख करना अनिवार्य बना दिया गया है। पैन कार्ड को विनियमित करने वाले नियम में 01/01/2016 से आयकर (बाइसवां संशोधन) नियमावली 2015 के द्वारा व्यापक रूप से संशोधन किया गया है इस संशोधित नियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति प्रति संव्यवहार दो लाख रुपये से अधिक के किसी भी प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की खरीद या बिक्री करता है तो उसे ऐसी खरीद या बिक्री में पैन का उल्लेख करना जरूरी है। आभूषणों की खुदरा बिक्री में होने वाली वृद्धि या कमी का कोई राज्य-वार आंकड़ा नहीं रखा जाता है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुए यह प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) उच्च मूल्य वाले/विशिष्ठ वित्तीय संव्यवहारों के बारे में जानकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त की जाती है। प्राप्त जानकारियों के ऐसे समूह का और साथ में ही आयकर विभाग के डाटाबेस में जानकारी का अन्य बातों के अलावा विभिन्न जोखिमपरक पैरामीटरों के मद्देनजर विश्लेषण किया जाता है और प्रत्यक्ष कर संबंधी कानूनों के अंतर्गत यथोचित कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार की विधि कर के अपवंचन/प्रत्यक्ष करों के अन्य प्रकार उल्लंघन के बड़ी संख्या वाले मामलों का पता लगाने में उपयोगी पाई गई है। बहरहाल कर अपवंचन का पता लगाने में विशेष स्रोतों/सूचना के योगदान का अलग से मूल्यांकन करना संभव नहीं है।

(घ) अभी ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं है। विशिष्ठ संव्यवहारों में पैन के उल्लेख को अनिवार्य बनाने से लेखापरीक्षा में सुविधा होगी और इससे अन्य बातों के अलावा काले धन के परिचालन का रोका जा सकेगा।

*****